न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 310 / 2016

उनवान

1. बंशीलाल गोद पुत्र भॅवर लाल कलाल, निवासी भादसी पटवार हल्का भासदी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, जिला वन कार्यालय, भीलवाडा
2. रेंजर, रेंज कार्यालय, वन विभाग, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के
प्रकरण संख्या 265 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015

अभिभाषक : 1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 4.07.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के गोद पिता भॅवर लाल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को मौजा भादसी पटवार हल्का भादसी में खाता संख्या 239 आराजी नम्बर 2703/677 में एक बीघा भूमि आवंटित हुई । जिसका खाता वादी के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2036 से 2039 में दर्ज है। इसी प्रकार वादी को खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 677 मीन रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि अलोट से खातेदारी दर्ज हुई । इन्तकाल नम्बर 475 में आराजी नम्बर 677 में से 5 बीघा भूमि आवंटन हुई जो जमाबंदी 2036 से 2039 से जानी जाती है। इस प्रकार वादी के खाते में 6 बीघा भूमि साबिक राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और वादी का उक्त रकबे पर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। दौराने सेटलमेण्ट वादी के खाते की पुष्टि करने के बजाय मनमकसूद तरीके से बिना कोई आदेश व डिक्री की पालना के वादी के 6 बीघा भूमि में से 0.05 हेक्टेयर भूमि ही नाम पर दर्ज की जो जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में दर्ज है। बाकी भूमि वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दी। जबकि कब्जा वादी का चला आ रहा है। खाता संख्या 459 आराजी नम्बर 2249 रकबा 0.58 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2250 रकबा 0.03 हे0, आआराजी नम्बर 2252 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2253 रकबा 0.11 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.05 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2255 रकबा 0.10 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2256 रकबा 0.04 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2257 रकबा 0.15 हेक्टक्येर कुल किता 8 रकबा 1.10 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के खाते दर्ज कर दी। अतः विपक्षी संख्या 1 वन विभाग का नाम खाता संख्या 459 कुल रकबा 1.10 हेक्टेयर भूमि से हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 द्वारा वादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर जो प्रभारी अधिकारी बदनोर थे द्वारा केम्प लोक अदालत भादसी मे निर्णय पारित किया था परन्तु पत्रावली प्राप्त नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय की प्रति अपीलार्थी को यथासमय नहीं मिल सकी थी। पत्रावली प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन मामले में तनकियात कायम नहीं की गई थी एवं न ही वादी की कोई साक्ष्य ली गई थी। अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन मामले में तनकियात कायम नहीं की गई थी एवं न ही वादी की कोई साक्ष्य ली गई थी। अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी को मौजा भादसी आराजी नम्बर 2703/677 में एक बीघा भूमि आवंटित हुई । इसी प्रकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी को खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 677 मीन रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि अलोट से खातेदारी दर्ज हुई । इन्तकाल नम्बर 475 में आराजी नम्बर 677 में से 5 बीघा भूमि आवंटन हुई. जो जमाबंदी 2036 से 2039 से जानी जाती है। इस प्रकार वादी के खाते में 6 बीघा भूमि साबिक राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और वादी का उक्त रकबे पर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के खाते की पुष्टि करने के बजाय मनमकसूद तरीके से बिना कोई आदेश व डिक्री की पालना के वादी के 6 बीघा भूमि में से 0.05 हेक्टेयर भूमि ही नाम पर दर्ज की जो जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में दर्ज है। बाकी भूमि वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दी। जबकि कब्जा वादी का चला आ रहा है। खाता संख्या 459 आराजी नम्बर 2249 रकबा 0.58 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2250 रकबा 0.03 हे0, आराजी नम्बर 2252 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2253 रकबा 0.11 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.05 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2255 रकबा 0.10 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2256 रकबा 0.04 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2257 रकबा 0.15 हेक्टंक्येर कुल किता 8 रकबा 1.10 हेक्टेयर भूमि अपीलार्थी का रकबा मर्ज कर वन विभाग के खाते दर्ज कर दी। अतः विपक्षी संख्या 1 वन विभाग का नाम खाता संख्या 459 कुल रकबा 1.10 हेक्टेयर भूमि से हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

7. प्रत्यर्थीगण की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी को जो भूमि आवंटित की गई उस भूमि पर काबिज नहीं होकर वह वर्तमान में जो भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है उस पर काबिज होने का कथन करता है । जबकि उक्त भूमि पर उसका कोई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. अपीलार्थी/वादी को मौजा भादसी आराजी नम्बर 2703/677 में एक बीघा भूमि आवंटित हुई । इसी प्रकार वादी को खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 677 मीन रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि अलोट से खातेदारी दर्ज हुई । इन्तकान नम्बर 475 में आराजी नम्बर 677 में से 5 बीघा भूमि आवंटन हुई जो जमाबंदी 2036 से 2039 से जानी जाती है। इस प्रकार वादी के खाते में 6 बीघा भूमि साबिक राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और वादी का उक्त रकबे पर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/वादी के गोद पिता भँवर लाल को ग्राम भादसी तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 677 में रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। इन्तकाल नम्बर 475 के द्वारा अपीलार्थी/वादी के नाम आवंटित भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई हैं। जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2036 से 2039 से होती है। हाल खाता संख्या 459 आराजी नम्बर 2249 रकबा 0.58

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2250 रकबा 0.03 हे0, आराजी नम्बर 2252 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2253 रकबा 0.11 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.05 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2255 रकबा 0.10 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2256 रकबा 0.04 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2257 रकबा 0.15 हेक्टक्येर कुल किता 8 रकबा 1.10 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम पर राजस्व रेंकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपना कब्जा होने का कथन करता है परन्तु वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

10. अपीलार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो इस बाबत कोई दस्तावेजी रेकार्ड से साबित नहीं कर पाया है जबकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थी/वादी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया था। कैम्प दिनांक 9.7.2015 में अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज होकर साक्ष्य का अवसर भी दिया गया है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा साबित होता हो। चूंकि वादी अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं कर सका था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेर करना उचित नहीं समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 310 / 2016

उनवान

1. बंशीलाल गोद पुत्र भॅवर लाल कलाल, निवासी भादसी पटवार हल्का भासदी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, जिला वन कार्यालय, भीलवाडा
2. रेंजर, रेंज कार्यालय, वन विभाग, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 265 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/310/2016 मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनोर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 4.7.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मुनीर गनी वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री ओम प्रकाश सोनी राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 4.7.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोंडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस